मध्यप्रदेश शासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभाग की वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान मांगों पर चर्चा के परिप्रेक्ष्य में वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय

- **मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि** वर्ष 2003-04 में प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का बजट 80.00 लाख रूपये था जोकि वर्ष 2012-13 में 77 गुना बढ़ कर 62.09 करोड़ रूपये हो गया। वर्ष 2014-15 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बजट बढ़ कर 180.00 करोड़ रूपये हो गया है। दृष्टिपत्र 2018 के अनुरूप सभी विभागों को अपने बजट का 2 प्रतिशत ई-गवर्नेन्स एवं आई.टी. संबंधी गतिविधियों पर व्यय के निर्देश भी दिये जा चुके हैं। यह सुशासन को और बेहतर बनाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व का द्योतक है।
- मुझे सदन को यह बताते हुए गौरव महसूस होता है कि सरकार द्वारा विगत 10 वर्षों में आई.टी. के क्षेत्र में उठाये गये कदमों के फलस्वरूप आज मध्यप्रदेश 57 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉजेक्शन्स के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का तीसरा सर्वोत्तम राज्य है। मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य है जहां विधानसभा प्रश्न एवं उत्तर भेजने की प्रक्रिया को ऑन लाईन कर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, प्रमुख सचिव विधान सभा एवं सम्पूर्ण विधानसभा सचिवालय का आभारी हूँ।
- मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहॉ विकासखण्ड से लेकर राज्य स्तर तक स्टेट आई.टी. कैडर का गठन हुआ है, जहॉ 15 जिलों में आईटी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना 25 करोड़ की लागत से की गई, जहॉ विगत एक वर्ष में विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के 275 विकासखण्ड मुख्यालयों के लगभग 2 लाख 20 हजार बच्चों को वर्चुअल क्लास रूम परियोजना अंतर्गत शिक्षा प्राप्त हुई है, जहॉ ई-मेल नीति तैयार कर जारी की गई है, जहॉ चारों महा नगरों में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स विकसित किये जा रहे हैं, जहॉ 90 से अधिक विभागों/कार्यालयों को निःशुल्क SMS सेवा । विगत वर्ष में लगभग 07 करोड SMS किये गए हैं।
- मध्यप्रदेश में *स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क*, स्टेट पोर्टल, स्टेट डेटा सेन्टर, स्टेट रेसीडेन्ट डेटा हब, नागरिक सुविधा केन्द्र, जीआईएस लैब के रूप में सशक्त आईटी अधोसंरचना तैयार की गई है। मैं समझता हूँ कि सम्मानीय विधानसभा

सदस्यों को मध्यप्रदेश की आई.टी. क्रान्ति को देखने के लिए स्टेट आईटी सेन्टर का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। मैं समस्त माननीय मंत्रीगण एवं विधायकगण को डेटा सेन्टर के अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा माननीय मुख्यमंत्रीजी से भी विनम्र अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक स्टेट आईटी सेन्टर में आयोजित की जावे।

- प्रदेश में इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर प्रदेश के आई.टी. हब के रूप में विकसित किया गया है। इन शहरों में निवेश अनुकूल लोकेशन्स पर लगभग 600 एकड़ भूमि आई.टी. उद्योगों हेतु चिन्हांकितग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट-2012 के दौरान मध्यप्रदेश में निवेश की इच्छुक 47 आई.टी. कम्पनियों द्वारा लगभग 300 करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये जिनमें से 26 आई.टी. कम्पनियों के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत कर उन्हें Letter of Intent जारी। 11 कम्पनियॉ भोपाल में 10 इन्दौर में 03 जबलपुर में डेव्हलपमेंट सेन्टर विकसित करेंगी।
- एमपीऑनलाईन मध्यप्रदेश के पोर्टल के रूप में सेवा प्रदाय के सर्वाधिक लोकप्रिय मॉडल में से एक। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों की लगभग 180 सेवायें 3000 से अधिक एमपीऑनलाईन क्योस्क के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।
- ***ई-टेण्डरिंग*** अंतर्गत अब तक 72 विभागों के 73,300 टेंडर मूल्य लगभग 1 लाख 58 हजार करोड रूपये के टेंडर प्रसारित हो चुके है।लगभग **01 हजार** ई- टेंडर प्रति सप्ताह।
- जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर जिला ई-गवर्नेन्स मैनेजर्स, सहायक ई-गवर्नेन्स मैनेजर्स,लेखापाल तथा कार्यालय सहायक पदस्थ। प्रत्येक विभाग में आई.टी. दक्ष अधिकारियों का पूल तैयार करने के लिए वर्चुअल आई.टी. कैडर की स्थापना की जा रही है।
- मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण तथा जानकारी देने के लिए सीएम हेल्पलाईन प्रारम्भ कर दी गई है। हेल्पलाईन पर 11 जनवरी 2014 से अब-तक कुल 10 लाख 37 हजार कॉल्स प्राप्त हो चुके है। इनमें 1 लाख 9 हजार शिकायतें थी जिनमें से 75 प्रतिशत से अधिक निराकृत।

<u>वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रमुख योजनाऐं इस प्रकार है</u>

- प्रदेश में आई.टी. निवेश आकर्षित करने हेतु संशोधित आई.टी. नीति-2014 एवं बीपीओ नीति-2014 जारी करना।
- आगामी ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट हेतु आगामी 03 माह में विभिन्न महानगरों में 06 रोड़-शो/वर्कशाप का आयोजन।

- नेशनल आप्टिक फाईबर नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत स्तर तक पहुचाना।
- महाधिवक्ता कार्यालय, व्यापम तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर का सम्पूर्ण कम्प्यूटराजेशन।
- माननीय विधायकों को आई.टी. प्रशिक्षण।
- माननीय मंत्रीगण के लिए एक दिवसीय ई-गवर्नेंस लीडरशिप वर्कशॉप ।
- सभी 51 जिलों मे वीडियों कांफ्रेसिंग का अतिरिक्त सेटअप ।
- ई-टेंडरिंग के अंतर्गत ई-मेजरमेंट तथा ई-पैमेंट की व्यवस्था लागू करने के प्रयास।
- शासन के समस्त अधिनियमों एवं नियमों को ऑनलाईन उपलब्ध कराने के लिए एमपीकोड पोर्टल का निर्माण।
- प्रदेश के शेष 36 जिलों में आई.टी. प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकृत कराना।
- मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस अकादमी की स्थापना।
- राज्य, विभाग एवं जिला स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिटों की स्थापना।
- चारों महानगरों में आई.टी. पार्क तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स का अधोसंरचना विकास।
- मध्यप्रदेश शासन सेटकॉम आधारित नया प्रशिक्षण चैनल शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा जिसमें सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रशिक्षण एवं जागरूकता लाने का कार्य किया जायेगा।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आई.टी. एवं सुशासन को प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया जाकर इस वित्तीय वर्ष में अनेक नई ऊचाईयों को छूने दिशा में कदम बढ़ाये जायेंगे।

धन्यवाद।

(भूपेन्द्र सिंह)
मंत्री
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

विभाग की वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान मांगों पर चर्चा के परिप्रेक्ष्य में वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय

1 सुशासन की दिशा में एतिहासिक कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय-सीमा में आम नागरिकों को सेवा प्रदाय की गारंटी प्रदान करने हेतु 2010 में अधिनियम पारित किया तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग की स्थापना की। ऐसा अधिनियम पारित करने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है। मध्यप्रदेश का अनुसरण अब तक देश के 16 राज्य कर चुके हैं।

2 अधिनियम के अंतर्गत अब तक कुल 21 विभागों की 102 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं जिनमे से 16 विभागों की 47 सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने एवं सेवा ऑनलाइन प्रदाय करने की सुविधा है।

3 *19 जुलाई, 2014 की स्थिति में **लोक सेवा केन्द्रों पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति** निम्नानुसार है :-*

कुल प्राप्त आवेदन	01 करोड़ 22 लाख 11 हज़ार 648
कुल निराकृत आवेदन	01 करोड़ 18 लाख 74 हज़ार 286
समय सीमा में निराकृत आवेदन।	01 करोड़ 06 लाख 72 हज़ार 64
कुल अपील प्रकरण	लगभग 35 हज़ार
कुल पदाभिहित अधिकारी जिनपर लगा जुर्माना	लगभग 200
जुर्माना राशि	लगभग 10 लाख रुपये
आवेदक जिन्हें प्रतिकर का भुगतान हुआ	लगभग 350
प्रतिकर भुगतान राशि	लगभग 3 लाख 60 हज़ार रुपये

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आम नागरिकों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से सेवाऐं प्राप्त की जा रही हैं।

4 सेवा प्रदाय हेतु प्रदेश में विकासखंड स्तर पर 335 लोक सेवा केन्द्रों की जन-निजी भागीदारी के आधार पर स्थापना की गई है। अब तक 335 में से 304

लोक सेवा केन्द्रों के नए भवन के निर्माण हेतु टेंडर स्वीकृत. 21 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ. 153 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5 Government Process Re-Engineering (GPR) में हमने की देश में संभवतः सबसे बड़ी कवायद. सम्बंधित विभाग एवं विशेषज्ञों से गहन चर्चा कर अधिसूचित प्रत्येक सेवा के प्रदाय की प्रक्रिया को काफी सरल किया गया.

6 इ-जिला परियोजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शुमार. भारत सरकार द्वारा परियोजना हेतु 115 करोड़ रुपये स्वीकृत. परियोजना सभी 51 जिलो में लागू। सभी जिलो को कम्पयूटर हार्डवेयर प्रदाय किया गया.

7 हाल ही में विश्व बैंक द्वारा लोक सेवा प्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ाकरण एवं लोकव्यापीकरण के लिए 300 करोड रुपये की सहायता स्वीकृत की गयी है. विश्व बैंक द्वारा लोक सेवा पोर्टल की तकनीकी सहायता हेतु भी 1.75 करोड़ रुपये की राशी दी गयी है.

8 ***लोक सेवा प्रबंधन विभाग को विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रमुख अवार्ईस प्राप्त हुये हैं :-***

क्रमांक	वर्ष	अवार्ईस
1	2012	संयुक्त राष्ट्र संघ का लोक सेवा अवार्ड
2	2013	स्काच अवार्ड
3	2014	इ-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार

सीएम हेल्पलाइन

9 टेली समाधान कॉल सेंटर को 11 जनवरी 2014 से व्यापक और विस्तृत बनाते हुए इसे सीएम हेल्पलाइन के रूप में प्रारंभ किया गया. इसमें अब सभी विभागों की सभी प्रकार की योजनाओ की जानकारी देने और सभी प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने की व्यवस्था है। दिनांक 20 जुलाई 2014 तक कुल 10 लाख 37 हजार 90 कॉल प्राप्त हुए है. इनमे से लगभग 9 लाख 27 हजार कॉल्स जानकारी लेने के लिए तथा लगभग 1 लाख 10 हजार कॉल शिकायत दर्ज करने के लिए प्राप्त हुए. प्राप्त शिकायतों में से लगभग 75 हजार 500 शिकायतों का समाधान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 की कार्ययोजना के बिन्दु निम्नानुसार है :-

A. प्रदेश में सभी जिलों में उप लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना के प्रयास किये जायेंगे ताकि नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाऐं मिल सके।

B. नवीन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जायेगा।

C. विश्व बैंक के सहयोग से लोक सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

D. सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से जनशिकायत निवारण व्यवस्था को अधिकाधिक प्रभावी बनाया जायेगा।

E. नागरिकों खसरा खाता की नकल, आय एवं निवासी प्रमाण-पत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाऐं Across the counter तथा ऑनलाईन प्रदान किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

F. नवीन अधिसूचित सेवाओं के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने एवं सेवा ऑनलाईन प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

G. लोक सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जायेगा।

H. ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक सेवा प्रदाय को प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया जाकर इस वित्तीय वर्ष में अनेक नई ऊचाईयों को छूने दिशा में कदम बढ़ाये जायेंगे।
धन्यवाद।

(भूपेन्द्र सिंह)
मंत्री
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मान0मंत्रीजी, परिवहन द्वारा विभागीय बजट पर होने वाली चर्चा पर दिए जाने वाला वक्तव्य

परिवहन विभाग राजस्व अर्जित करने वाला शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है, साथ ही इसकी जिम्मेदारी यह भी सुनिश्चित करना है कि सड़क परिवहन सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो। यह विभाग एक नियामक विभाग भी है, जो परमिट, लायसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि जारी करता है।

2. वर्ष 2013–14 में विभाग द्वारा लगभग 1600 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहित किया गया है। वर्ष 2014–15 के लिए शासन द्वारा रूपये 2000 करोड का राजस्व लक्ष्य रखा गया है, जो विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

3. विभाग द्वारा प्रदेश में गत वित्तीय वर्ष में 5,78,320 स्थायी चालक लायसेंस तथा 7,28,068 लर्निंग चालक लायसेंस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 9,11,220 नये वाहनों का पंजीयन भी किया गया है। इस प्रकार विभाग आम जनता से सीधे जुड़े रहने वाला एक संवेदनशील विभाग है और राजस्व अर्जित करने के साथ–साथ जनता को इन सभी कार्यों में सुविधा हो सके, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग की है। परिवहन विभाग ने इन सभी कार्यों के लिए आधुनिकतम टैक्नालॉजी का उपयोग करते हुए सुविधाओं में अत्यधिक वृद्धि की है।

4. विभाग को प्राप्त होने वाले राजस्व का 80 प्रतिशत से अधिक राजस्व ऑन लाइन संग्रहित हो रहा है। ड्रायविंग लायसेंस, लर्निंग लायसेंस एवं फिटनेश प्रमाण–पत्र हेतु वाहनो के लिए ऑन–लाइन तिथि/समय निर्धारित करने की सुविधा दी गई है, जिससे आवेदक अपनी सुविधानुसार उपस्थित होने का समय निर्धारित कर सकता है। वह ऑन–लाइन फार्म भर सकता है तथा ऑन–लाइन फीस भी जमा कर सकता है। इस सुविधा से अब उसे किसी एजेंट या विचौलिए की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस टेक्नालॉजी के उपयोग से जहॉ कार्य में पारदर्शिता आएगी, वही आम जनता को सुविधा भी बढ़ेगी।

इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पहले उपस्थित होने वाले आवेदक का पहले लायसेंस जारी किया जाए। यदि लायसेंस जारी करने में विलम्ब होता है तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वर्तमान में लोक सेवा गारंटी योजना के तहत इस विभाग की तीन सेवाऐं अधिसूचित हैं–

स.क्र.	सेवाऐं	कार्य अवधि
1	लर्निंग चालक लायसेंस	10 दिवस
2	फिटनेश प्रमाण–पत्र	15 दिवस
3	वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र	30 दिवस

लर्निंग लायसेंस जारी करने के लिए 10 दिन निर्धारित किए गए हैं। विभाग इस कार्य अवधि का परीक्षण कर रहा है और शीघ्र ही यह कार्य अवधि घटाने पर विचार करेगा।

5. लायसेंस जारी करने में सुरक्षा की दृष्टि से डीडुप्लीकेशन की व्यवस्था भी परिवहन विभाग द्वारा कर दी गई है, ताकि गलत व्यक्ति को लायसेंस जारी होने अथवा एक व्यक्ति द्वारा दुबारा लायसेंस अवैधानिक रूप से जारी करवाना संभव नहीं हो पाएगा।

6. परिवहन विभाग द्वारा परमिट जारी करने की व्यवस्था का भी सरलीकरण किया जा रहा है। मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 के तहत शीघ्र परमिट जारी करने हेतु जो प्रावधान किया गया है उसके अनुरूप परमिट जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी पूर्व में जारी किए गए परमिट को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे बस आपरेटर्स को वर्तमान में चल रही बसों की जानकारी स्पष्टतः मिल सकेगी, ताकि इन्हें नये वाहन चलाने के लिए आवेदन करने में सुविधा हो सके। विभाग परमिट व्यवस्था में भी पारदर्शिता लाने के लिए कटिबद्ध है। परमिट की व्यवस्था

को पारदर्शी बनाने के लिए ऑन–लाइन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है।

7. अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि औव्हर लोडेड वाहन संचालन पर नियंत्रण किया जा सके। चेक पोस्टों के डाटा बेस को परिवहन विभाग के डाटा बेस से इन्टीग्रेट किया जा रहा है, ताकि संबंधित वाहन की जानकारी तत्काल चेकपोस्ट पर उपलब्ध हो सके। जो वाहन सभी दृष्टि से सही हों उन्हें चेक पोस्टों पर अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। इस व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी, साथ ही वाहन चालकों को सुविधा होगी। चेक पोस्टों पर वाहनों का जो समय बर्बाद होता है उसमें भी कमी लाई जा सकेगी। वर्तमान में 8 एकीकृत चेक पोस्ट संचालन में हैं। दिसम्बर,2014 तक और 6 परिवहन चेक पोस्टों को एकीकृत चेक पोस्ट मे बदलने का कार्य हो रहा है।

8. परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए अधिक सुविधाजनक द्रुतगामी (Non-Stop) एसी/डीलक्स बस चलाने के लिए व्यवस्था कर रहा है। शीघ्र ही ऐसी बसों का संचालन किया जा सकेगा, जो कि राज्य के प्रमुख नगरों के बीच द्रुतगामी सेवा प्रदाय कर सके। इससे व्यक्तिगत साधनों से यात्रा करने की प्रवृत्ति में कमी लाई जा सकेगी और आम नागरिकों को सुविधापूर्ण लोक परिवहन की व्यवस्था मिल सकेगी।

9. पसंदीदा विशिष्ट पंजीयन नम्बर के आवंटन को लेकर भी राज्य में शिकायतें सुनने को मिलती थी। राज्य शासन द्वारा पसंदीदा विशिष्ट पंजीयन नंम्बर के आवंटन की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ई–आक्शन की व्यवस्था आरम्भ कर दी गई है। एक पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से पसंदीदा विशिष्ट पंजीयन नम्बर की नीलामी की जाएगी और इसमें उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को पसंदीदा विशिष्ट पंजीयन नम्बर आवंटित किए जाऐंगे। जहॉ पसंदीदा विशिष्ट पंजीयन नम्बर के

ई–आक्शन सें पारदर्शिता बढ़ेगी और वहीं दूसरी ओर राज्य को कुछ अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

10. मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में सड़कों का निर्माण द्रुत गति से हुआ है, किन्तु इन पर वाहनों का संचालन नियमित रूपसे नहीं हो पाया है। शासन ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक योजना बना रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के वाहनों पर प्राथमिकता के आधार पर परमिट दिया जाएगा और इनमें करों में कुछ छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। इन वाहनों के मालिकों को शासन की पूर्व से प्रचलित योजनाओं के तहत अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक इस सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित हो सकें। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र की लोक परिवहन की सुविधाओं में सुधार आएगा।

11. परिवहन विभाग की कार्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विभागीय ढांचे को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। वर्षों से लंबित पदोन्नति के प्रकरणों को अब शीघ्रता से निपटाया जा रहा है। विभाग में नये पदों का सृजन भी किया गया है और उनमें आवश्यकतानुसार शीघ्र भर्ती भी की जाएगी। इससे कार्य व्यवस्था में सुधार आएगा और परिवहन के क्षेत्र में अधिक अनुशासन लाने में मदद मिलेगी। विभाग द्वारा अब लगभग प्रत्येक जिले मे जिला परिवहन अधिकारी की पदस्थापना कर दी गई है। अपवादस्वरूप एक–दो जिलों में अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था है, इसे भी शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा। जिले में जिम्मेदार अधिकारी उपलब्ध होने से विभागीय गतिविधियों पर नियंत्रण हो पाएगा और आम जनता की शिकायतों का निराकरण भी शीघ्रता से हो पाएगा।

12. प्रदेश के अधिकांश परिवहन कार्याल किराये के भवनों में चल रहे हैं, हॉ पर आधारभूत सुविधाओं की अत्यधिक कमी है। शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर परिवहन कार्यालयों हेतु भवन निर्माण की

स्वीकृति दी है। कार्यालय भवन में वाहन चालकों के लायसेंस परीक्षण हेतु ड्रायविंग ट्रैक भी बनाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिला कार्यालयों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रवर्तन का स्टाफ भी उनके अधीन पदस्थ किया जा रहा है। यह स्टाफ जिला परिवहन अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करेगा। इस व्यवस्था से परिवहन से संबंधित शिकायतों का निराकण तत्काल हो सकेगा।

13. परिवहन विभाग राजस्व अर्जित करने वाला राज्य का एक महत्वपूर्ण विभाग है। किन्तु इसमें कर अपवंचन की भी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। अतः विभाग द्वारा कराधान नियमों में संशोधन कर उनका युक्तियुक्तकरण तथा सरलीकरण किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण की मंशा करों में वृद्धि करना नहीं है, अपितु ईमानदार करदाताओं को संरक्षण देना तथा कर अपवंचन में कमी लाना है। व्यवस्था इस प्रकार से की जा रही है कि अधिक से अधिक वाहनों को जीवनकाल कर की परिधि में लाया जाए, जिससे वाहन मालिकों को बार–बार परिवहन कार्यालय में न आना पड़े। साथ ही इससे कर अपवंचन की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाई जा सकेगी। करों का सरलीकरण इस प्रकार से किया जा रहा है कि वाहन मालिक इसे स्वयं ही अच्छी तरह से समझ सके एवं ऑन–लाइन भुगतान कर सके, ताकि उनका किसी प्रकार से शोषण न हो सके। पूरी व्यवस्था आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए की जा रही है।

यथा संभव यह प्रयास किए जा रहे हैं कि राज्य में एसी/डीलक्स बसों के संचालन को प्रोत्सहित किया जा सके। अतः इन पर टैक्स कम करने पर भी विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही कराधान नियम आम जनता की आपत्तियों के लिए प्रकाशित किये जाऐंगे।

14. चालक/परिचालक परिवहन की रीढ़ होते हैं। शासन इनके कल्याण के लिए भी चिंतित है। शासन द्वारा म0प्र0 मोटरयान

चालक/परिचालक कल्याण मण्डल बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। इस वर्ग के लोगों को सामाजिक एवं न्यायिक सुरक्षा विभाग के तहत संचालित समग्र योजना से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। इसके अतिरिक्त शासन इस बात पर भी विचार कर रहा है कि किस प्रकार से इनको शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। लोक परिवहन से जुड़े हुए चालक/परिचालकों को शासन के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भी सुविधा प्रदान की जाए।

15. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परिवहन विभाग परिवहन से संबंधित सभी क्षेत्रों में व्यवस्था सुधारने के लिए तथा पारदर्शिता लाने के लिए कटिबद्ध है और प्रत्येक क्षेत्र में नई टेक्नालॉजी का उपयोग कर यथासंभव सुधार लाया जा रहा है। इन सभी प्रयासों के परिणाम शीघ्र ही विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार परिलक्षित होंगे। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि परिवहन विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए विभाग पूरी मेहनत से कार्य करेगा, जिससे जन अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके।

———

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विभागीय बजट 2014-15 की अनुदान मांगों (मांग संख्या 46) पर चर्चा पर माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का व्यक्तव्य

1. उज्जैन जिले में खगोलीय वेधशाला एवं प्रदेश के आधुनिक तारामंडल का लोकार्पण

परिषद् द्वारा प्रदेश में खगोल विज्ञान के प्रचार-प्रसार एवं शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु उज्जैन जिले में निर्मित **खगोलीय वेधशाला, ग्राम- डोंगला एवं प्रदेश के आधुनिक तारामंडल, उज्जैन** का लोकार्पण क्रमश: 11 जून 2013 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं 12 जून 2013 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

2. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष **तीन राष्ट्रीय एवं तीन राज्य स्तर के पुरस्कार** प्रदान किये जाते हैं। परिषद् द्वारा आयोजित राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिये 06 वैज्ञानिकों को पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुरस्कार, 02 वैज्ञानिकों को कैलाश नाथ काटजू राज्य स्तरीय विज्ञान पुरस्कार, 01 वैज्ञानिक को पंडित लज्जाशंकर झा राज्य स्तरीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार तथा 02 वैज्ञानिकों को डॉ. हरि सिंह गौर राज्य स्तरीय समाज विज्ञान पुरस्कार प्रदान किये गये। इस गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, भूतपूर्व चेयरमेन, परमाणु उर्जा आयोग भारत सरकार थे।

3. मध्यप्रदेश संसाधन एटलस कार्यक्रम

इस योजना का उददेश्य राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों को दर्शाते हुए विस्तृत एटलस तैयार करना है। यह एटलस शासन के विभिन्न विभागों एवं अन्य एजेंसियों के विकास कार्यक्रमों की विकासीय योजना को तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। म.प्र. के मुखयमंत्री मान. श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चार जिलों के संसाधन एटलस दतिया, टीकमगढ़, सागर (हिन्दी), झाबुआ एवं अलीराजपुर (संयुक्त हिन्दी संस्करण) का विमोचन किया गया।

4. विज्ञान लोकव्यापीकरण

- **भोपाल विज्ञान मेला** का उद्घाटन श्री माधवन नायर, प्रख्यात वैज्ञानिक (पूर्व अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) ने किया। इस मेले में प्रदेश के शिल्पियों, नवाचारियों एवं विज्ञान शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर परिषद् द्वारा अपने कार्यक्रमों की जानकारी स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित की गई। परिषद् द्वारा स्थानीय स्तर पर खुरई(सागर) में भी विज्ञान मेला आयोजित किया गया ।

- शिक्षक दिवस के अवसर पर **मध्यप्रदेश विज्ञान प्रतिभा सम्मान समारोह** का आयोजन कर विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड, पश्चिम भारत विज्ञान मेला एवं राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार प्रतियोगिता में चयनित 133 विद्यार्थियों को पुरस्कृत एवं 3 शिक्षकों को नवाचारी विज्ञान शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- 21वीं **राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस** का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से परिषद द्वारा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर, 2013 तक किया गया । इस कार्यक्रम में 35 राज्यों, केन्द्रशासित राज्यों, नवोदय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, यूएई एवं आशियान देशों के 664 विद्यार्थियों एवं एस्कॉर्ट शिक्षक, समन्वयकों, एनसीएसटीसी नेटवर्क के सदस्यों, मूल्याकंनकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

5. ग्रामीण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केन्द्र की गतिविधियॉ

प्रदेश के कारीगरों एवं शिल्पियों के पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण, कौशल उन्नयन तथा उन्हें नवीन तकनीकी की जानकारी प्रदान करने हेतु **ग्रामीण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केन्द्र** की स्थापना औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन में की गई है । परिषद् द्वारा दिनांक 17-18 सितम्बर 2013 को म.प्र. कारीगर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन एवं केन्द्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। सी.एफ.टी.आई. (सेंट्रल फूटवेयर ट्रेनिग इंस्टीटयूट) आगरा एवं परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 150 चर्म शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया गया।

6. सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित गतिविधियॉ

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अन्तर्गत् लगभग छः लाख हैक्टर क्षेत्र के चयनित जलग्रहण क्षेत्रों की त्रिआयामिक उपग्रह आंकड़ों के आधार पर खसरा स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाना है, जो कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायता करेगी। सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक

सूचना प्रणाली आधारित एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत म. प्र. के 27 जिलों के लिए चयनित 850 वाटरशेड का एक्शन प्लान तैयार कर विभाग को प्रदान किया गया एवम उक्त सभी जिलों के अधिकारियों के लिए ग्यारह कार्यशालाओं (एक-दिवसीय) का आयोजन किया गया, जिसमे नक्शों के उपयोग की जानकारियाँ दी गई।

- म.प्र. शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा प्रायोजित क्रियेशन ऑफ डिजीटल डाटा बेस फॉर वेनगंगा बेसिन परियोजना के अन्तर्गत चार जिलों सिवनी, बालाघाट, मण्डला एवं छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले वेनगंगा बेसिन का 1:50,000 मापक पर डिजीटल डाटा बेस तैयार कर विभाग को सौंपा गया। इस का उपयोग शासन द्वारा वेनगंगा बेसिन में विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वित करने में किया जा सकेगा ।

- **ग्राम सीमा एवं बसाहट का जियोस्पेशल तकनीक द्वारा मानचित्रणः जिला होशंगाबाद** परियोजना के अंतर्गत म.प्र. के होशंगाबाद जिले के सभी ग्रामों की ग्राम सीमा एवं बसाहट का मानचित्रीकरण 1:10,000 मापक पर सुदूर संवेदन तकनीक तथा भोगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर उच्च आवर्धन कार्टोसेट उपग्रह चित्रों के माध्यम से पूर्ण कर प्रदेश के योजना आयोग को प्रेषित किया गया । तैयार डाटाबेस को परिसम्पत्ति (Property) के साथ लिंक कर रियल टाईम मॉनीटरिंग सिस्टम तैयार किया गया जिससे ग्रामवार, पंचायतवार, तहसीलवार परिसम्पत्तियों का अद्यतन पूर्ण किया जा सके।

- **स्पेस बेस्ड इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग (SISDP) परियोजना**

प्रदेश के प्राकृतिक तथा अन्य संसाधनों जैसे जल संसाधन, खनिज संसाधन व आपदा प्रबंधन इत्यादि के विकास एवं प्रबंधन में सुचारू एवं अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एवं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई त्रिआयामीय (3D) एवं दिव्आयामीय (2D) जानकारी को खसरा स्तर तक विकासीय योजनाएं तैयार करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्पेस बेस्ड इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग (सिस-डिप) परियोजना के अंतर्गत म.प्र. के ग्रामों के खसरा आधारित प्राकृतिक संसाधनों/मूल-भूत संरचनाओं (भू-आवरण, बसाहट आदि) एवं अन्य संसाधनों जैसे जल संसाधन, रोड नेटवर्क, ड्रेनेज, रेल नेटवर्क इत्यादि) का विषयवार मानचित्रण एवं ज्योस्पेशियल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना मे रोड नेटवर्क, ड्रेनेज, रेल नेटवर्क का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है।

7. जलवायु परिवर्तन शोध केंद्र की गतिविधियॉ

मध्यप्रदेश में जलवायु परिवर्तन के कारण उसके प्रभावों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने तथा अध्ययनों का समुचित उपयोग, मध्यप्रदेश की खाद्यान्न, पर्यावरण एवं आर्थिक

सुरक्षा के संदर्भ में सुनियोजित योंजनाओं के निर्माण में सुनिश्चित करने हेतु परिषद् जलवायु परिवर्तन पर शोध को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना में जलवायु परिवर्तन संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं शोध कार्य हेतु उपकरणों (स्पेक्ट्रोमीटर सनफोटोमीटर एलएआई मीटर फोटोसिन्थेसिस सिस्टम) का क्रय किया गया।

8. नवाचार एवं पेटेण्ट

नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु नवाचार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश के नवाचारियों को उनके मौलिक कार्यो हेतु अनुदान एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। परिषद द्वारा विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं एवं विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। पेटेंट के संबंध में 44 पेटेंट हेतु आवेदन दाखिल करते हुए म.प्र. के 175 अविष्कारकर्ताओ को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है ।

9. म.प्र.उत्कृष्टता मिशन

म.प्र. के युवाओं में उत्कृष्टता, नवाचार एवं उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश उत्कृष्टता मिशन के अंतर्गत विज्ञान मंथन यात्रा का आयोजन किया गया। वर्ष 2013-14 मे कुल 491 विद्यार्थियों एवं 41 विज्ञान शिक्षकों ने लखनऊ, मुम्बई, नागपुर-वर्धा, अहमदाबाद, इन्दौर-पीथमपुर-उज्जैन एवं भोपाल की प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों में भ्रमण एवं अवलोकन कर संवाद स्थापित किया। विज्ञान मंथन यात्रा उपरांत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर 100 विद्यार्थियों का चयन छात्रवृत्ति के लिये किया गया। इन विद्यार्थियों को माह अप्रेल 2014 से आगामी पांच वर्षो के लिए छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।

10. मध्यप्रदेश में कुपोषण दूर करने हेतु प्रयास

मध्यप्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिये शासन द्वारा स्टेट एलायंस बनाने की घोषणा की गई है, जिसका सचिवालय मेपकास्ट भोपाल में रहेगा। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय संस्था गेन (ग्लोबल एलायंस फार इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन) , स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से तेल, दूध, आटा आदि को पोषक बनाने के लिये जागरूकता हेतु कार्य करेगी।

11.ग्रामीण अंचलो के विद्यालयों को प्रोत्साहन

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित 20 जिलो के 587 विद्यालयों मे प्रत्येक विद्यालय को विज्ञान प्रसार की रोचक एवं ज्ञानवर्धक 09 पुस्तकें, 05 गतिविधि किट (जैवविविधता किट, मौसम किट, खगोलीय किट, भूकम्प किट, आधुनिक भौतिकी का उदय किट), 21 पृथ्वी ग्रह पोस्टर, 10 टेलिस्कोप प्रदान किये गये ।

वर्ष 2014-15 के वित्तीय वर्ष के दौरान लिये जाने वाले नये कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों की जानकारी

- जलवायु परिवर्तन के कारणों पर शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- मध्यप्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिये फोर्टिफाइड खाद्यान्न एवं खाद्य तेल को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार के बायोटेक्नॉलॉजी विभाग के सहयोग से परियोजना प्रारंभ करने का लक्ष्य है।
- खसरा स्तर पर मध्यप्रदेश की सम्पूर्ण ग्रामवार भूमि मानचित्रों को एकीकृत करते हुए डिजिटल मेप राजस्व एवं प्लानिंग कार्यक्रमों के लिये तैयार करने का लक्ष्य है। जी.आई.एस. मैपिंग द्वारा प्रदेश की शासकीय भूमि को औद्योगिक एवं अन्य उपयोग हेतु डिजीटल मप बनाये जाने का लक्ष्य है।

प्रस्तावित बजट प्रावधान 2014-15

वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रमों हेतु आयोजना मद में रू. 2935.02 लाख तथा आयोजनेत्तर मद में रू. 507.00 लाख, कुल रूपये 3442.02 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।